

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकदमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 22-10-2024

मंजू देवी पुत्री वक्शी राम, निवासी महाल रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.——दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल रछयालू व जुगेहड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मंजू देवी पुत्री वक्शी राम है जबकि महाल रछयालू व जुगेहड़ के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम मंजू कुमारी पुत्री वक्शी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में उक्त नाम को सही करके मंजू कुमारी उपनाम मंजू देवी पुत्री वक्शी राम से दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकदमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 22-10-2024

सुनीता देवी पुत्री वक्शी राम, निवासी महाल रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.——दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल रछयालू व जुगेहड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुनीता देवी पुत्री वक्शी राम है जबकि महाल रछयालू व जुगेहड़ के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सुनीता कुमारी पुत्री वक्शी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में उक्त नाम को सही करके सुनीता कुमारी उपनाम सुनीता देवी पुत्री वक्शी राम से दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० : ०३ / २०२३ / तकसीम भूमि

तारीख पेशी : २२—१०—२०२४

विनय, विनोद, विकास पुत्र व रजनी देवी विधवा चतर सिंह, निवासीगण महाल नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

कर्म सिंह द्वारा जायज वारसान आदि

समन बनाम : अशवनी कुमार, अनिल कुमार, सुशील कुमार पुत्र व वन्दना कुमारी पुत्री कर्म सिंह, धर्म सिंह, जन्म सिंह, कुलतार सिंह, करनैल सिंह, पुत्र जसबन्त सिंह, हरमीत सिंह, दिनेश राणा, विवेक राणा पुत्र कुलतार सिंह, निवासीगण नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्रतिवादी।

इश्तहार बाबत मुकद्दमा बाबत तकसीम भूमि खाता नं० ०७, खतौनी नं० ११, ता १७, खसरा कित्ता २७, रकबा तादादी ०१—८८—०८ है० वाक्या महाल नौशहरा मौजा रेहलू तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुताबिक जमाबंदी वर्ष २०१७—१८।

उपरोक्त विषय से संबन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादियों को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु प्रतिवादियों के समन बिना तामील के प्राप्त हुए या निर्धारित पेशी के दौरान प्रतिवादीगण हाजिर न आए। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम के मुकद्दमे के संबंध में यदि उन्हें कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक २२—१०—२०२४ को दोपहर २.०० बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके बाद कोई उजर या एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक १८—०९—२०२४ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Butel Singh s/o Late Sh. Jayanti Ram, r/o Ward No. 5, Village Bhadwal, P.O. Matour,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public.

2. The Registrar, Births and Deaths-cum-Secretary, G.P. Mandal, Tehsil Dharamshala.

विषय—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Butel Singh s/o Late Sh. Jayanti Ram, r/o Ward No. 5, Village Bhadwal, P.O. Matour, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Jayanti Ram s/o Sudama Ram की जन्म/मृत्यु तिथि 20-07-1990 है परन्तु MCD Dharamshala/ग्राम पंचायत Mandal में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Jayanti Ram की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Shalu Devi d/o Late Nikku Ram s/o Asha Ram, r/o Ward No. 5, M.C. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

विषय—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shalu Devi d/o Late Nikku Ram s/o Asha Ram, r/o Ward No. 5 M.C. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी/उसके Father Nikku Ram s/o Asha Ram की जन्म/मृत्यु तिथि 02-07-1995 को हुआ/हुई है परन्तु एम०सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nikku Ram की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना

एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Kavita Devi presently w/o Suresh Kumar, Grand Daughter of Late Smt. Iswari Devi w/o Sidhu Ram, r/o Village Khaterh, P.O. Dhagwar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public.

2. The Registrar, Births and Deaths-cum-Secretary, G.P. Mandal, Tehsil Dharamshala

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Kavita Devi presently w/o Suresh Kumar, Grand Daughter of Late Smt. Iswari Devi w/o Sidhu Ram, r/o Village Khaterh, P.O. Dhagwar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके/उसकी Grand Mother Iswari Devi w/o Sidhu Ram की जन्म/मृत्यु तिथि 04—11—2011 है परन्तु MCD Dharamshala/ग्राम पंचायत Dhagwar में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Iswari Devi की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23—10—2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकदमा नं० : ०८ / T/C/2024

तारीख दायरा : ०५—०९—२०२४

तारीख पेशी : २३—१०—२०२४

यश पाल पुत्र वसन्ता राम, वासी महाल अमरोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल अमरोह में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय व्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख महाल अमरोह में जशपाल पुत्र वसन्ता राम पुत्र जहला, वासी महाल अमरोह दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड व रजिस्टर ग्राम पंचायत अमरोह में यश पाल पुत्र वसन्ता राम दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल अमरोह में जशपाल उपनाम यश पाल पुत्र वसन्ता राम पुत्र जहला के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक २३—१०—२०२४ को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक ०५—०९—२०२४ को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

जगदीश कुमार पुत्र विश्व दास, वासी महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

जगदीश कुमार पुत्र विश्न दास, वासी महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरे पुत्र ब्रह्म दास का जन्म दिनांक 10-10-2002 को महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं उसके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त ब्रह्म दास पुत्र जगदीश कुमार पुत्र विश्वन दास, वासी महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हिन्दूप्र) के जन्म का पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / –

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : ०३ / T/C/2024

तारीख दायरा : 07-05-2024

तारीख पेशी : 23-10-2024

विक्रान्त शर्मा पुत्र शाम चन्द्र पुत्र प्रशोतम दास, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हिंप्र०) प्रार्थी।

ବନାମ

आम जनता

प्रत्यार्थीगण ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में विक्रान्त कुमार पुत्र श्याम चन्द पुत्र प्रशोतम दास, वासी महाल स्वाणा निचला दर्ज है जबकि प्रार्थी के स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत स्वाणा में विक्रान्त शर्मा पुत्र शाम चन्द दर्ज है। जोकि मेरा व

मेरे पिता जी का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में विक्रान्त कुमार उपनाम विक्रान्त शर्मा पुत्र श्याम चन्द उपनाम शाम चन्द पुत्र प्रशोतम दास के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नामों की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 09/T/C/2024

तारीख दायरा : 05-09-2024

तारीख पेशी : 23-10-2024

होशियार सिंह पुत्र रणिया राम, वासी महाल जण्डौर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) हाल वासी महाल भटेड़, तहसील मुकेरिया, जिला होशियारपुर, पंजाब। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय व्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में रण सिंह पुत्र माधो पुत्र उधो, वासी महाल जण्डौर दर्ज है जबकि पिता के मृत्यु प्रमाण—पत्र व मेरे आधार कार्ड में रणिया राम पुत्र माधो राम दर्ज है। जोकि मेरे पिता जी का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में रण सिंह उपनाम रणिया राम पुत्र माधो उपनाम माधो राम पुत्र उधो के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चंडीगढ़, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 21 / C / 2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री बिधि चंद पुत्र सालिगराम, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चंडीगढ़, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री बिधि चंद पुत्र सालिगराम, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चंडीगढ़, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने
इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम अनुसार प्रधार रिपोर्ट व उसके
अपने आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड में सालिगराम दर्ज है जोकि सही है। परन्तु
राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में उसके पिता का नाम कृपाल सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक
अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में दुरुस्त करके सालिगराम करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है
कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की
अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चंडीगढ़, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चंडीगढ़, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 20 / C / 2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री गुरदेव डोगरा पुत्र सन्त राम, निवासी महाल सलहेरा, उप-तहसील चंडीगढ़, जिला कांगड़ा
(हि०प्र०)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

श्री गुरदेव डोगरा पुत्र सन्त राम, निवासी महाल सलहेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दर्ज हैं जो कि सही हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सलहेरा में उसका नाम गुरदेव कुमार उपनाम गुड्डू दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल सलहेरा में गुरदेव डोगरा दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 17/N/24

तारीख पेशी : 24-10-2024

Veena Rana d/o Bhagat Ram s/o Late Sh. Nettar Singh, r/o Village Paleta, P.O. Molang,
Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P.

प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया Veena Rana d/o Bhagat Ram s/o Late Sh Nettar Singh, r/o Village Paleta, P.O. Molang, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P ने इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्किया पेश किया व आवेदन किया है कि उनके दादा की मृत्यु दिनांक 25-04-1975 को गांव पलेटा ग्राम पंचायत सरी में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सरी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त नेत्र सिंह की मृत्यु तिथि 25-04-1975 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-10-2024 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा उक्त नेत्र सिंह की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सरी को पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 11-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

किस्म : दुरुस्ती

तारीख पेशी :

जीत कुमार पुत्र श्री झौफी राम पुत्र श्री छांगू निवासी गांव कस्बा, डाठ व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके अजीत कुमार के बजाए जीत कुमार दर्ज करने वारे।

जीत कुमार पुत्र श्री झौफी राम पुत्र श्री छांगू निवासी गांव कस्बा, डाठ व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि वह महाल कस्बा, तहसील बैजनाथ में भू—स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम अजीत कुमार पुत्र श्री झौफी राम पुत्र श्री छांगू है, जबकि प्रार्थी का असल नाम जीत कुमार पुत्र श्री झौफी राम पुत्र श्री छांगू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जीत कुमार पुत्र श्री झौफी राम पुत्र श्री छांगू किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकदमा नं० : 02 / 23

किस्म मुकदमा : तकसीम

तारीख पेशी : 25-10-2024

पुष्पा देवी विधवा राम सिंह, वासी महाल मेहवा, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

प्रार्थिया।

बनाम

- चन्द राज,
- हंस राज पुत्रान लखू उर्फ लीहखू
- विजय सिंह पुत्र राम सिंह,
- दीवान चन्द पुत्र मोहर सिंह,
- ब्रह्मी देवी पत्नी,
- नरेश कुमार,
- राकेश कुमार पुत्रान दीवान चन्द,
- आशा कुमारी पत्नी प्रवीण कुमार,
- सुनील कुमार,
- कश्मीर सिंह,
- किशोरी लाल,
- प्यार चन्द,
- गनेश कुमार पुत्रान,
- राजो देवी विधवा साधू राम,
- अमन कुमार,
- अविनाश कुमार पुत्रान शुभकर्ण,
- अनीता कुमारी पुत्री,
- वीना देवी विधवा शुभकर्ण,
- रविन्द्र कुमार,
- पवन कुमार पुत्रान,
- आशा कुमारी पुत्री,
- गीता देवी विधवा तरलोक चन्द,
- हि० प्र० सरकार समस्त वासीगण महाल मेहवा, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

प्रत्यार्थीगण।

विषय— भूमि तकसीम खाता नं० 5, खतौनी 7 ता 11, खसरा कित्ता 39, रकबा 05-49-35 है० स्थित महाल मेहवा, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) जमाबन्दी 2020-21.

समन बनाम :—

उपरोक्त प्रत्यार्थीगण नं० 2, 3, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 17, 21

उपरोक्त मुकदमा इस न्यायालय में विचारधीन हैं। इसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण के समनों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार तलब किया जाए। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र, हि० प्र० द्वारा प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वह इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 25-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवे। गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-09-2024 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकदमा नं: / 2024

Phuntsok Tashi s/o Chonga Tsering, r/o Near Dal Lake TCV School Dharamshala, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Phuntsok Tashi s/o Chonga Tsering, r/o Near Dal Lake TCV School Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसका अपना Phuntsok Tashi s/o Chonga Tsering का जन्म दिनांक 11-10-1994 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Phuntsok Tashi के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 19-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।